2022 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 10 का संशोधन।
3. धारा 21 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

धारा 10 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 10 में, ''तीस लाख'' शब्दों के स्थान पर ''एक करोड़'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) में, ''बीस लाख'' शब्दों के स्थान पर ''साठ लाख'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 10 सिविल न्यायालयों की मूलभूत धन सम्बन्धी अधिकारिता का उपबंध करती है और धारा 21 किसी सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश से जिला न्यायाधीश की अपीलीय धन सम्बन्धी अधिकारिता का उपबंध करती है। माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल न्यायलयों की मूलभूत धन सम्बन्धी अधिकारिता को तीस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने और ज़िला न्यायाधीश की अपीलीय धन सम्बन्धी अधिकारिता को बीस लाख रुपये से साठ लाख रुपये करने की संस्तुति की है। माननीय उच्च न्यायालय की सिफारिश पर पूर्वोक्त अधिनियम में तद्नुसार संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम ठाकुर)
मुख्य मंत्री।

शिमलाः
तारीख.................., 2022

अधिप्रमाणित

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

वित्तीय ज्ञापन

----शून्य---

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

----शून्य---

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(जयराम ठाकुर)
मुख्य मंत्री।

अधिप्रमाणित

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)।

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

शिमला:
तारीख....., 2022

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं:

10. सिविल न्यायालयों की प्रारम्भिक अधिकारिता.––तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय को उन सभी मूल सिविल वादों की अधिकारिता प्राप्त होगी, जिनका मूल्य तीस लाख से अधिक नहीं है।

21. सिविल न्यायाधीशों से अपीलें.––(1) यथा पूर्वोक्त के सिवाय, अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री या आदेश की अपील निम्नलिखित को होगी:–

(क) जिला न्यायाधीश को, जहां मूल वाद का मूल्य जिसमें डिक्री या आदेश किया गया था, बीस लाख से अधिक नहीं था: और

(ख) किसी अन्य मामले में, उच्च न्यायालय को।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जिला न्यायाधीश को की जाने वाली अपीलों को प्राप्त करने का कृत्य, अपर जिला न्यायाधीश को समनुदिष्ट किया गया है, वहां अपील अपर जिला न्यायाधीश को की जा सकेगी।

(3) उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित सभी या किसी मूल वाद में डिक्रियों या आदेशों की जिला न्यायालय में होने वाली अपीलें, ऐसे अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश को की जाएंगी जो अधिसूचना में वर्णित किया जाए और तदुपरि अपीलें तद्नुसार की जाएंगी और ऐसे अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, इस प्रकार की गई सभी अपीलों के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय समझा जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 10.
3. Amendment of section 21.

Bill No. 13 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy–third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 2022. Short title.

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for the words "thirty lakh", the words "one crore" shall be substituted. Amendment of section 10.

3. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "twenty lakh", the words "sixty lakh" shall be substituted. Amendment of section 21.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976) provides for original pecuniary jurisdiction of Civil Courts and section 21 provides for appellate pecuniary jurisdiction of the District Judge from the decree or the order of a Civil judge. The Hon'ble High Court, has recommended to enhance the original pecuniary jurisdiction of Civil Courts from 'Rupees thirty lakh' to 'Rupees one crore' and appellate pecuniary jurisdiction of District Judge from 'Rupees twenty lakh' to 'Rupees sixty lakh'. On the recommendation of the Hon'ble High Court, it has been decided to amend the Act *ibid.* accordingly.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

SHIMLA:
The _____, 2022.

Authenticated

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

Authenticated

(RAJEEV BHARDWAJ)
Pr. Secretary (Law).

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

SHIMLA:
The....., 2022

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH COURTS ACT, 1976 (ACT NO. 23 OF 1976) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

10. Original jurisdiction of Civil Courts.—Save as otherwise provided by any other law for the time being in force, the Court of the District Judge shall have jurisdiction in all original civil suits, the value of which does not exceed thirty lakh rupees.

21. Appeals from Civil Judges.—(1) Save as aforesaid, an appeal from decree or order of a Civil Judge shall lie—

(a) to the District Judge where the value of the original suit in which the decree or order was made did not exceed twenty lakh rupees, and

(b) to the High Court in any other case.

(2) Where the function of receiving appeals which lie to the District Judge under sub-section (1) has been assigned to an Additional District Judge, the appeals may be preferred to the Additional District Judge.

(3) The High Court may by notification direct that appeals lying to the District Court from all or any of the decrees or orders passed in an original suit by any Civil Judge shall be preferred to such other Civil Judge as may be mentioned in the notification and the appeals shall thereupon be preferred accordingly and the Court of such other Civil Judge shall be deemed to be a District Court for the purposes of all appeals so preferred.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला–787–जुड/2022–9–8–2022–––175.